

प्रपत्र (ग)  
(नियम 3 (3) देखिए)

[मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958]

स्थापना के पंजीयन का प्रमाण पत्र

भाग - क



कार्यालय : District Labour Office, INDORE

(1) आनलाइन पंजीयन चिन्ह एवं क्रमांक : R/1146307 , पंजीयन क्रं/तिथि :

(2) स्थापना का नाम : REBEL FOODS PRIVATE LIMITED

(3) स्थापना के (डाक का) पूरा पता : 1ST FLOOR 178&179 PU4, SCHEME NO-54, BEHIND MALHAR MEGA MALL, INDORE MADHYA PRADESH

(4) स्थापना के कारोबार, व्यापार या व्यवसाय का स्वरूप : Sale of any Foods / Eatables

(5) मालिक, प्रबन्धक, अभिकर्ता (एजेंट) अथवा अन्य कोई व्यक्ति, जिसके अधीन या नियंत्रण में स्थापना का कार्य संचालन होता हो :

	नाम	पिता / पति का नाम	पता
मालिक	GHUGE PRAMOD NIVRUTTI(MANAGER)	NIVRUTTI LAXMAN GHUGE	SAI SAGAR CHS, ROOM NO-301, PLOT NO-519, OPP-CISF COLONY, SECTOR-11 VASHI JUHUGAON, THANE, NAVI MUMBAI, MAHARASHTRA 400615
प्रबन्धक	-	-	-
अभिकर्ता	-	-	-

(6) स्थापना में सेवा नियोजक के रूप में हित रखने वाले अन्य व्यक्ति(व्यक्तियों) यदि कोई हो तो, उनका नाम, पद और राज्य में उसका पूरा पता :

स.क्र.	नाम	पद	पता
--------	-----	----	-----

(7) सेवायुक्तों की कुल संख्या :

	पुरुष	महिला	योग
प्रांढ़	18	2	20
युवा			0
योग	18	2	20

पंजीयन शुल्क: Rs.250

प्रमाणित किया जाता है कि स्थापना जिसका विवरण ऊपर दिया गया है, मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 (क्र., सन 1958) के अंतर्गत दिनांक 18/09/2019 को पंजीयन की गई है।

निरीक्षक  
दुकान एवं स्थापना  
अधिनियम 1958 के अंतर्गत

दिनांक: 18/09/2019

महत्वपूर्ण सूचना : यह प्रमाण पत्र स्थापना का पंजीयन मात्र है जो केवल आपके द्वारा अपलोड किये गए दस्तावेजों एवं जानकारी के अवलोकन के आधार पर जारी किया गया है। इस हेतु किसी भी तरह का भौतिक सत्यापन/ निरीक्षण नहीं किया गया है। यदि इन दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो विभाग द्वारा प्रदत्त पंजीयन रद्द करने तथा आवेदक के विरुद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है। पंजीयन प्रमाण पत्र के माध्यम से बैंक लोन, स्वामित्व एवं संपत्ति विवाद, न्यायालय में जमानत, GST पंजीयन प्राप्त करने या अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग करने पर क्रम विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। यह पंजीयन व्यवसाय करने की अनुमति नहीं है। इस हेतु सक्षम प्राधिकारी से पृथक से अनुमति प्राप्त करना होगी। दस्तावेज डिजिटल हस्ताक्षरित हैं अतः मैन्युअल हस्ताक्षर की कोई आवश्यकता नहीं है।